MANSAROVAR PUBLIC SCHOOL
ENGLISH MEDIUM & CO-EDUCATIONAL SCHOOL

Affiliation No.: 2131759
School Code: 59006

Babri-Butrara Road, Near Police Station, Babri
Distt-Shamli (U.P.) Phone : 01398-275275
E mail : mspublicschoolbabri@gmail.com

Ref. No. MPS/ ....

Dated 16.06.2023

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय को नर्सरी से कक्षा-5 तक की मान्यता पत्रांक संख्या बेसिक/10195-96/2013-14 दिनाँक 20.11.2013 व कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की मान्यता पत्रांक संख्या मान्यता/703-05/2012-13 दिनाँक 30.08.2012 तीन वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की गयी थी। विद्यालय की मान्यताएँ उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-6 दिनाँक 08 मई 2013 के संख्या 418/79-6-2013-18 एस (7) के शासनादेश अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत स्थायी हो गयी है।

अतः विद्यालय की मान्यता कक्षा नर्सरी से कक्षा-8 तक निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत स्थायी है, व विद्यालय R.T.E ACT-2009 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रों के प्रवेश कर रहा है।

16/06/2023

PRINCIPAL
MANSAROVAR PUBLIC SCHOOL
BABRI (SHAMLI)
AFF. NO. 2131759

नीरा शर्मा
~~President~~/Secretary
Mansarovar Public School
Babri (Shamli)

संलग्नक
(1) आर.टी.ई. (RT.E) रजिस्ट्रेशन
(2) कक्षा नर्सरी से कक्षा-5 तक मान्यता पत्र
(3) कक्षा-6 से कक्षा-8 तक मान्यता पत्र
(4). उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश

बेसिक शिक्षा विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार

Basic Education Department,Government of Uttar Pradesh

UDISE CODE: 9741104319 **SCHOOL:** MANSAROVAR PUBLIC SCHOOL BABRI **Logout**

HOME Action Report Change Password School User Manual

Dashboard

Registration Status : **Your School registration is Approved by BSA**

Recent Update

NATIONAL INFORMATICS CENTRE DESIGNED & DEVELOPED BY NIC LUCKNOW, U.P STATE UNIT

Disclaimer: Every Effort Has Been Made To Ensure Accuracy Of Data On This Web Site. However These Need To Be Verified By And Supplemented With Documents Issued Finally By The Concerned Authorities.NIC Will Not Be Responsible For Any Decision Or Claim That Is Based On The Displayed Data. This Disclaimer Is Valid For All Pages In This Website.

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
मानसरोवर पब्लिक स्कूल बाबरी,
शामली।

पत्रांकः बेसिक / 10195-96 / 2013–14 दिनांकः 20.11-2013

विषय–मानसरोवर पब्लिक स्कूल की मान्यता आदेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के आदेश पत्रांक / मान्यता / 2350 दिनांक 26.06.2013 के द्वारा आपके विद्यालय मानसरोवर पब्लिक स्कूल बाबरी थानाभवन को तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से 5 तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी जबकि आपके द्वारा नर्सरी से कक्षा 5 तक मान्यता हेतु आवेदन एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी नर्सरी से कक्षा 5 तक की संस्तुति की गयी थी जिसके आधार पर उक्त मान्यता कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्थान पर कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक की मान्यता पढी जाए।

(अरविन्द कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।
20.11.13

पृ0सं0 / बेसिक / / 2013–14 दिनांक–उपरोक्त।

प्रतिलिपि खंड शिक्षा अधिकारी थानाभवन को उनकी आख्या दिनांक 27.09.13 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
मानसरोवर पब्लिक स्कूल, बाबरी,
विकास क्षेत्र–थानाभवन।

पत्रांक / मान्यता / /2013–14 . दिनांक :– 26/06/13

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, **मानसरोवर पब्लिक स्कूल, बाबरी, विकास क्षेत्र–थानाभवन** को तारीख **01–07–2013** से तारीख **30–06–2016** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा–1 से कक्षा–5** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध–1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सनी कक्षा में) उस कक्षा में बालाकें की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
05. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेंगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

    (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

    (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जां रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ....30.... है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ0सं0/मान्यता/2350 /2013–14 तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि</u> :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
4. खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, [illegible]......................।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शामली।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य

मानसरोवर पब्लिक जू० हा० स्कूल
बाबरी (शामली)

पत्रांक / मान्यता / 703–05 / 2012–13 दिनांकः– 30-8-2012

विषय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 27.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं मानसरोवर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, बाबरी (शामली) को तारीख 31.07.2012 से तारीख 30.07.2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

01– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध–2)" उपबंधों का पालन करेगा।

03– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथा स्थिति, नर्सनी कक्षा में) उस कक्षा में बालकें की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04– पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रींनिग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

06– विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

07– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	2840 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	127.4.24 वर्ग मीटर
कीडा स्थल का क्षेत्रफल	है।
कक्षाओं की संख्या	6, 7, 8
प्रध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	2+1 = 3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई	नहि है।
बाधारहित पहुॅच	है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

09– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..पू0हा0-03..है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17– संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

29/8/12

(अरविन्द कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

पृ0सं0/मान्यता/ /2012–13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

02– खण्ड शिक्षा अधिकारी,......थानाभवन...........।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
शामली।

संख्या–418/79–6–2013–18 एस (7)/

प्रेषक

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँकः 08 मई, 201

विषयः अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–442/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दि0 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।

(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ह उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरि विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धि स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशि की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

8.5.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5—समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7—शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।